



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



03.09.2025

प्रेस प्रकाशनी

सीबीएसई-एनसीबी सहमति ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर समारोह एवं मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आज सीबीएसई मुख्यालय, द्वारका, नई दिल्ली में नशा मुक्त विद्यालयी वातावरण के निर्माण और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए सहयोग को मजबूत करने हेतु एक ऐतिहासिक सहमति ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

इस सहमति ज्ञापन (MoU) पर एनसीबी के महानिदेशक श्री अनुराग गर्ग, आईपीएस और सीबीएसई के अध्यक्ष श्री राहुल सिंह, आईएएस द्वारा हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम में श्री हिमांशु गुप्ता, आईएएस, सचिव, सीबीएसई, श्री विशाल एम. सनप, आईआरएस, उप महानिदेशक, एनसीबी, श्री नीरज कुमार गुप्ता, आईपीएस, डीडीजी, एनसीबी, डॉ. अनीस सी., उप निदेशक, आईआरएस, एनसीबी, श्री विकास कुमार, उप निदेशक, एनसीबी तथा सीबीएसई के विभागाध्यक्षगण एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों/अतिथियों ने गरिमामयी उपस्थिति दर्ज की।

एनसीबी के महानिदेशक श्री अनुराग गर्ग ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने में शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया तथा जनजागरूकता अभियान, कार्यशालाओं एवं परामर्श कार्यक्रमों के आयोजन में एनसीबी के निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया। सीबीएसई के अध्यक्ष श्री राहुल सिंह ने विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों, शिक्षकों और अभिभावकों को मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की रोकथाम के बारे में जानकारी एवं संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सीबीएसई की प्रतिबद्धता दोहराई। सीबीएसई के सचिव श्री हिमांशु गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थियों को विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक ज्ञान के साथ-साथ एक सुरक्षित एवं सहयोगपूर्ण वातावरण प्रदान करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि समय पर मध्यवर्तन एवं टेली-मानस जैसी सरकारी पहल, जो पूरे भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुँच बढ़ा रही हैं, इस दिशा में सहायक सिद्ध हो सकती हैं।

यह MoU संयुक्त पहलों के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है, जिसमें प्रत्येक तिमाही में जनजागरूकता कार्यक्रम, शिक्षकों और परामर्शदाताओं हेतु क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ, नशीली दवाओं की रोकथाम पर ई-मॉड्यूल, सामुदायिक संपर्क और विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के लिए परामर्श सेवाएँ शामिल हैं। एक पायलट कार्यक्रम भी 100 CBSE विद्यालयों में किया जाएगा, जिसे आगे “हब एंड स्पोक” मॉडल के माध्यम से विस्तार दिया जाएगा।

इस कार्यक्रम के पश्चात मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारत भर के 500 से अधिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों, परामर्शदाताओं तथा वेलनेस शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में निम्न अनुसार विशेष सत्र आयोजित किए गए:

- श्री आशुतोष अग्निहोत्री, आईएएस, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा “विद्यालय प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए नेतृत्व के गुण” विषय पर सत्र



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077
CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase-1, Dwarka, New Delhi-110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



- डॉ. अनीस सी., आईआरएस, उप निदेशक, एनसीबी द्वारा “पहले डोज को ठुकराएँ, भविष्य सुरक्षित बनाएं” विषय पर सत्र

श्री आशुतोष अग्रिहोत्री ने शिक्षकों के लिए नेतृत्व संबंधी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की, ताकि शिक्षक-प्रशासक वर्ग सामाजिक चुनौतियों से मुकाबले में विद्यालयों का मार्गदर्शन करके विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवन की ओर उन्मुख कर सकें। डॉ. अनीस सी. ने मादक पदार्थों की समस्या, रोकथाम के उपाय, संवाद रणनीतियों तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु साथियों, परिवारों और विद्यालयों की सहभागिता पर विस्तार से प्रकाश डाला।

कार्यक्रम के समापन पूर्व एक प्रश्न-उत्तर सत्र हुआ, जिसमें देशभर के प्रधानाचार्यों तथा परामर्शदाताओं ने विशेषज्ञों से संवाद किया, अपनी चिंताएँ साझा की एवं विद्यालय स्तर पर मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु व्यावहारिक रणनीतियों पर चर्चा की।

इस सहभागिता से सीबीएसई और एनसीबी का यह साझा दृष्टिकोण संपुष्ट हुआ है, कि विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा सुरक्षित, स्वस्थ एवं सहयोगपूर्ण विद्यालयी वातावरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जो मादक पदार्थों/ मादक द्रव्यों के दुरुपयोग पर रोक लगाता हो और साथ ही विद्यार्थियों को सकारात्मक जीवन विकल्प चुनने के लिए सशक्त करता हो।

सचिव, सीबीएसई



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077
CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase-1, Dwarka, New Delhi-110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



झलकियाँ

GLIMPSES



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077
CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase-1, Dwarka, New Delhi-110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077
CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase-1, Dwarka, New Delhi-110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077
CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase-1, Dwarka, New Delhi-110077

